

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 21, शक 1944

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. 4109-940245-2022-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (भरती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) नगर सैनिकों के लिए आयु 30 वर्ष होगी. यदि 30 वर्ष के भीतर की आयु के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.”.

No. 4109-940245-2022-B-4-II,—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Disaster Emergency Response Force (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The age limit for the Home Guards shall be 30 years. If the sufficient number of candidates within the age of 30 years are not available, then the relaxation of 5 years shall be granted.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, सचिव.

1241